परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

संदर्भित परिच्छेद: 2.5- अमान्य, डुप्लीकेट एवं त्रुटिपूर्ण सांविधिक प्रपत्रों की स्वीकृति

इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष/ निर्धारण की तिथि	निर्धारितियों की सकल कुल बिक्री	अमान्य प्रपत्र- 'सी' की सकल कुल बिक्री पर उद्ग्राहय कर की अंतर राशि	हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 19(i) के अंतर्गत उद्ग्राहय ब्याज	योग	प्रपत्रों की अस्वीकृति के कारण
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बद्दी	2010 21.05.14	398,25,81,967	3,41,340	3,10,619	6,51,959	प्रपत्र-'सी' की तीन प्रपत्रों की डुप्लीकेट प्रतियां थी।
	2010-11 24.03.15	355,42,72,009	89,223	81,193	1,70,416	तीन प्रपत्रों पर गलत पता था
	2010-11 19.11.14	146,92,93,577	3,45,080	3,14,023	6,59,103	तीन प्रपत्रों की डुप्लीकेट प्रतियां थी।
योग	**3 मामले**	**900,61,47,553**	**7,75,643**	**7,05,835**	**14,81,478**	**9 प्रपत्र**
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, नाहन	2009-10 16.01.15	5,02,66,868	5,40,365	5,16,049	10,56,414	तीन प्रपत्रों पर गलत पता था।
	2006-07 26.03.15	1,40,76,449	3,85,760	5,76,711	9,62,472	नौ प्रपत्रों की डुप्लीकेट प्रतियां थी।
	2012-13 09.04.14	60,97,13,859	3,35,935	1,39,413	4,75,348	चार प्रपत्रों की डुप्लीकेट प्रतियां थी ।
	2010-11 11.03.15	3,18,53,605	1,36,069	1,05,453	2,41,522	एक प्रपत्र की डुप्लीकेट प्रति थी।
योग	**4 मामले**	**70,59,10,781**	**13,98,129**	**13,37,626**	**27,35,756**	**17 प्रपत्र**
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, नूरपुर	2010-11 28.08.14	18,26,19,688	6,67,864	5,87,721	12,55,585	एक प्रपत्र की डुप्लीकेट प्रति थी तथा पांच प्रपत्रो की प्रतिपर्ण प्रतियां थी ।
	2011-12 29.11.14	21,92,99,558	7,18,266	5,02,786	12,21,052	दो प्रपत्रों की डुप्लीकेट प्रतियां थी।
	2011-12 29.11.14	11,43,68,275	61,765	43,236	1,05,001	एक प्रपत्र की डुप्लीकेट प्रति थी।
	2011-12 15.07.14	1,82,61,319	16,519	11,564	28,083	चार प्रपत्रों की डुप्लीकेट प्रतियां थी।
योग	**4 मामले**	**53,45,48,840**	**14,64,414**	**11,45,307**	**26,09,721**	**13 प्रपत्र**
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला	2011-12 30.10.14	49,41,91,183	39,065	26,760	65,825	तीन प्रपत्रों की छाया-प्रतियां थी।
योग	**1 मामला**	**49,41,91,183**	**39,065**	**26,760**	**65,825**	**3 प्रपत्र**
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन	2012-13 16.04.14	59,29,40,915	3,90,964	2,15,030	6,05,994	चार प्रपत्रों पर गलत पता था
	2009-10 31.12.14	35,96,44,498	4,33,402	4,72,408	9,05,810	एक प्रपत्र की डुप्लीकेट प्रति थी.
योग	**2 मामले**	**95,25,85,413**	**8,24,366**	**6,87,438**	**15,11,804**	**5 प्रपत्र**
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, ऊना	2008-09 28.10.14	1,48,30,495	25,127	28,519	53,646	पांच प्रपत्रों पर गलत पता था।
	2009-10 20.11.14	3,03,05,138	2,62,914	2,51,083	5,13,997	पांच प्रपत्रों पर गलत पता था।
योग	**2 मामले**	**4,51,35,633**	**2,88,041**	**2,79,602**	**5,67,643**	**10 प्रपत्र**
सकल योग	**16 मामले**	**1,173,85,19,404**	**47,89,659 ₹47.90 लाख**	**41,82,568 ₹41.83 लाख**	**89,72,227 ₹89.72 लाख**	**57 प्रपत्र**

परिशिष्ट-II

संदर्भित परिच्छेद: 4.3.1- "सरकारी भूमि को पट्टे पर देने तथा पट्टा राशि की वसूली" की प्रक्रिया

सरकारी भूमि की सूची का अनुरक्षण	हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 1993 के नियम 9 के अनुसार लोक उद्देश्यों के लिए उपार्जित भूमि, *नाजूल भूमि* तथा प्रत्येक जिलों में लगाए गए शिविर मैदानों की भूमि को छोड़कर, सरकारी भूमि की एक सूची आयुक्त द्वारा अनुरक्षित की जाएगी तथा वह प्रति वर्ष निर्धारित प्रपत्र/रजिस्टर में इसकी एक रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा ।
पात्र व्यक्ति/ संस्थानों	हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 1993 के नियम 6 में प्रावधान है कि (**i**) राज्य सरकार द्वारा आरक्षित एवं सीमांकित संरक्षित वनों और इन निमित राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित क्षेत्रों से बाहर राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन सरकारी भूमि को पात्र व्यक्तियों /संस्थानों को पट्टे पर दिया जाएगा तथा (**ii**) हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान एवं उपयोग अधिनियम, 1974 की धारा 3 तथा हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 की धारा 11 के अनुसार सरकार में निहित भूमि में से राज्य के विकास के हित में, यदि राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा करने के लिए उसके पास प्रर्याप्त कारण है, किसी भी व्यक्ति को भूमि पट्टे पर दी जा सकेगी ।
प्रयोजनों जिसके लिए सरकारी भूमि को पट्टे पर दिया जा सकता है।	हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 1993 के नियम 4 में प्रावधान है कि सरकारी भूमि को पैट्रोल पम्पों को लगाने के लिए; शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं उनके विस्तार के लिए; भूतपूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं; आइ0 आर0 ड़ी0 पी0 से संबंधित व्यक्तियों; जन हित में राज्य के विकास के लिए साक्षरता, वैज्ञानिक और पूर्त-प्रयोजनों के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम,1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी, की स्थापना के लिए पट्टे पर दिया जा सकता है ।
पट्टे पर दी जाने वाली भूमि की संस्वीकृति	हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम,1993 के नियम 7 में प्रावधान किया गया है कि पट्टे की मंजूरी राज्य सरकार द्वारा उस अवधि के लिए जैसे वह ठीक समझे, दी जाएगी। बशर्ते कि किसी भी मामले में भूमि के पट्टे की अवधि 99 वर्षों से अधिक नहीं होगी ।
पट्टे राशि का निर्धारण एवं उद्ग्रहण	नियम 8(1) में प्रावधान है कि पट्टा राशि (विद्यमान नए या नवीकृत पट्टे) पात्र संस्थानों एवं व्यक्तियों से, जैसा भी मामला हो, पट्टे पर दी गई भूमि के उच्चतम बाजारी मूल्य अथवा पांच वर्षों के औसत बाज़ारी मूल्य का दोगुना, जो भी कम हो, के पांच/आठ/18 *प्रतिशत* लागू दर के अनुसार पट्टा राशि प्रतिवर्ष प्रभारित की जाएगी ।
एक-मुश्त राशि के आधार पर सरकारी भूमि को प्रदान करना	नियम 8(2) में भी प्रावधान है कि सक्षम प्राधिकारी पट्टांतारित भूमि का उच्चतम बाजारी मूल्य अथवा पांच वर्षों के औसत बाजारी मूल्य का दोगुना मूल्य, जो भी कम हो, एक-मुश्त राशि प्रभारित कर सकता है और उस अवधि के लिए जिस पर कि भूमि पट्टे पर दी गई है, के लिए एक रूपये प्रति मास टोकन पट्टा राशि के रूप में प्रभारित कर सकता है ।
पट्टे की अवधि	हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 1993 के नियम 15 में प्रावधान किया गया है कि किसी मामले या मामलों की श्रेणी के लिए अवधि नियत करने के विशेष आदेशों की अनुपस्थिति में नियम 9 के अंतर्गत अनुपयुक्त किये गए पट्टे की अवधि अनुपयुक्त की गई भूमि के प्रयोजन के संदर्भ में इसे कृषि के अंतर्गत लाने के लिए अपेक्षित पूंजी और समय तथा इसी प्रकार की अन्य बातों को ध्यान में रखकर नियत की जाएगी ।
पट्टा निष्पादित करना तथा भूमि का कब्जा प्रदान करना	हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 1993 के नियम 18 तथा 2013 के नियम 13 में प्रावधान किया गया है कि जब पट्टा संस्वीकृत कर दिया गया है, उपायुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा पट्टे पर दी गई संस्वीकृति के छः महीनों के भीतर प्रपत्र-'बी' में पट्टे को निष्पादित करेगा या करवायेगा। आवेदनकर्त्ता को भूमि का कब्जा तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक पट्टा निष्पादित नहीं कर दिया जाता।
दरें एवं उपकर	हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 1993 के नियम 19 में प्रावधान किया गया है कि एक पट्टाधारी प्रत्येक मामले में भूमि पर प्रभार्य समस्त दरों एवं उपकरों को पट्टे पर दी गई भूमि के बारे में तथा हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अध्याय-VIII के अंतर्गत सभी प्रभारों (शास्ति के इलावा) किसी भी समय उदगृहित करने के लिए सरकार से प्रसंविदा करेगा ।
पट्टे को निरस्त करना	हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 1993 के नियम 20 तथा 2013 के नियम 15 में प्रावधान किया गया है कि यदि आवेदनकर्त्ता पट्टे के निष्पादन के छः महीने के भीतर भूमि का कब्जा लेने में विफल रहता है, अथवा यदि वह किसी समय किन्हीं शर्तों की अनुपालना करने में विफल रहता है, तो समाहर्ता पट्टे को रद्द करेगा तथा इस तथ्य को सक्षम प्राधिकारी को प्रतिवेदित करेगा ।
पट्टे की समाप्ति पर प्रक्रिया	हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 1993 के नियम 25 तथा 2013 के नियम 18 में प्रावधान किया गया है कि (i) पट्टे के अवसान पर सरकार सम्पूर्ण भूमि या इसके किसी भाग को पुर्नग्रहण कर सकेगी । (ii) ऐसे पुर्नग्रहण की विफलता पर पट्टेधारी भू-राजस्व की राशि, भाड़ा अथवा पट्टा राशि के बारे में ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जिसे सक्षम प्राधिकारी अवधारित करे, पट्टे का नवीकरण करवाने का हकदार होगा ।

परिशिष्ट- III

संदर्भित परिच्छेद: 5.6.3 "अन्य राज्यों की स्टेज कैरिजों से विशेष पथ कर का अल्प निर्धारण"

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के नाम	रूट का नाम	एकल ट्रीप में तय की गई दूरी किलोमीटर में	विशेष पथ कर का प्रति मास निर्धारित किया जाना अपेक्षित (₹ में)	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा वास्तव में प्रति मास निर्धारित किया गया विशेष पथ कर (₹ में)	विशेष पथ कर की राशि का अल्प निर्धारण (₹ में)	2013-14 तथा 2014-15 की अवधि के लिए वसूली योग्य विशेष पथ कर की कुल राशि
मण्ड़ी	चण्ड़ीगढ़ -मनाली= 6 एस0 टी0 दिल्ली-मनाली=2 एस0 टी0	एन0 एच0=236×8=1888 बैठने की क्षमता=52 +2 कुल **ट्रीप** =8	2,40,089	2,29,916	10,173	2,44,152
	अम्बाला-कुल्लू =2 एस0 टी0	एन0 एच0=194×2=388 बैठने की क्षमता=52 +2 कुल **ट्रीप** =8	49,340	48,213	1,127	27,048
	यमुनानगर-मनाली=2 एस0 टी0	एन0 एच0=236×2=472 बैठने की क्षमता=52 +2 कुल **ट्रीप** =8	60,022	57,988	2,034	48,816
	चण्ड़ीगढ़ -मनाली= 4 आर0टी0 अन्नतपुर-नयनादेवी=2 आर0टी0 चण्ड़ीगढ़- गुरू का लाहौर=2 आर0टी0	एन0 एच0=236×8=1888 आर0 आर0=42 बैठने की क्षमता=52 +2 कुल **ट्रीप** =8	2,42,766	2,28,705	14,061	3,37,464
योग	**7 रूट परमिट**		**5,92,217**	**5,64,822**	**27,395**	**6,57,480**
सोलन	चण्ड़ीगढ़ -शिमला= 9 आर0टी0 चण्ड़ीगढ़ -बद्दी= 4 आर0टी0 चण्ड़ीगढ़ -नालागढ़= 2 आर0टी0	एन0 एच0=70×18=1260 आर0 आर0=16×18=288 बैठने की क्षमता=52 +2 कुल **ट्रीप** =18 एन0 एच0=17×4=68	1,78,596 8,647			
योग	**15 रूट परमिट**		1,87,233	79,170	1,08,063	25,93,512
सकल योग	**22 रूट परमिट**		**7,79,450 अर्थात् ₹7.79 लाख**	**6,43,992 अर्थात् ₹6.44 लाख**	**1,35,458 अर्थात् ₹1.35 लाख**	**32,50,992 अर्थात् ₹32.51 लाख**